

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1.पन्नालाल आत्मज श्री राधाकिशन जी
2.बजरंगी पुत्री राधाकिशन जी जाति
माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील
लाडपुरा जिला कोटा

-वादीगण

बनाम

- 1.रामनारायण पुत्र हीरा
- 2.गणपत पुत्र हीरा (मृतक) जयें कायम मुकाम-
2/1.मोडीबाई पत्नी स्व0 गणपत जी
2/2.नरेश पुत्र स्व0 गणपत जी
2/3.धन्नालाल पुत्र स्व0 गणपत जी
2/4.छोटूलाल पुत्र स्व0 गणपत जी
- 3.श्रीमति नन्दू पत्नी हीरा
- 4.मुकेश पुत्र छीतर
- 5.राजेन्द्र पत्र छीतर
- 6.महावीर पुत्र छीतर
- 7.कैलाशबाई पत्नी छीतर
- 8.टोलूमल आत्मज श्री आनन्दा जी (मृतक) जयें का0मु0
8/1.नन्दकिशोर आयु 45 वर्ष आत्मज टोलूमल उर्फ तोलूमल
8/2.गणेश आयु 40 वर्ष आत्मज टोलूमल उर्फ तोलूमल (मृतक)
जयें कायम मुकामान-
8/2/1.अमन पुत्र गणेश आयु 7 वर्ष
8/2/2.टीना पुत्री गणेश आयु 12 वर्ष
8/2/3.रेना पुत्री गणेश आयु 14 वर्ष नाबालिगान जयें वली
माता मंजू बाई पत्नी स्व0 गणेश जी जाति माली निवासीगण
गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
8/2/4.मंजूबाई पत्नी स्व0 श्री गणेश जाति माली निवासीगण
ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
8/3.सुशीला पुत्री स्व0 टोलूमल उर्फ तोलूमल
8/4.लाडकंवर पुत्री स्व0 टोलूमल उर्फ तोलूमल
8/5.खाजी बाई बेवा स्व0 स्व0 टोलूमल उर्फ तोलूमल जाति
माली निवासीगण गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
- 9.गुड़कीलाल पुत्र आनन्दीलाल
- 10.डालीबाई पुत्री आनन्दीलाल
- 11.सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा।

-प्रतिवादीगण

--: वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:--

मुकद्मा नं. 77/2016 (दावा)

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम नान्ता प0हल्का नान्ता की आराजी खाता सं0 272 ख0न0 35 रकबा 0.38 हे0, ख0न0 36 रकबा 0.47 हे0, ख0न0 37 रकबा 0.73 हे0, ख0न0 38 रकबा 0.59 हे0, ख0न0 112 रकबा 0.08 हे0, ख0न0 113 रकबा 0.37 हे0, ख0न0 114 रकबा 0.16 हे0, ख0न0 115 रकबा 1.41 हे0, ख0न0 116 रकबा 0.04 हे0, ख0न0 117 रकबा 0.01 हे0, ख0न0 118 रकबा 1.06 हे0, ख0न0 119 रकबा 0.13 हे0 ख0न0 120 रकबा 0.89 हे0 कुला कित्ता 13 कुल रकबा 6.32 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-



उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा:-0744-2325871

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
1.पन्नालाल पुत्र राधाकिशन हि0 1/2 जाति माली सा0 गिरधरपुरा	114/2	0.06 है0	
2.बजरंगी बाई पुत्री राधाकिशन हि0 1/2 जाति माली सा0 गिरधरपुरा	115/2	0.46 है0	
	112/1	0.04 है0	
	113/1	0.22 है0	
	37	0.73 है0	
	119/3	0.03 है0	
	116	0.04 है0	
	किता 7	1.58 है0	
1.रामनारायण पुत्र हीरा हि0 1/3	112/2	0.04 है0	
2.मोडी बाई पत्नि गणपत हि0 1/12	113/2	0.15 है0	
3.नरेश पुत्र गणपत हि0 7/36	120	0.89 है0	
4.धन्नालाल पुत्र गणपत हि0 7/36	119/1	0.03 है0	
5.छोटूलाल पुत्र गणपत हि0 7/36	36	0.47 है0	
	किता 5	1.58 है0	
1.मुकेश पुत्र छीतर हि0 1/4	118	1.06 है0	
2.राजेन्द्र पुत्र छीतर हि0 1/4	117	0.01 है0	
3.महावीर पुत्र छीतर हि0 1/4	119/2	0.04 है0	
4.कैलाश बाई पत्नि छीतर हि0 1/4	38/2	0.28 है0	
	35/2	0.19 है0	
	किता 5	1.58 है0	
1.नन्दकिशोर पुत्र टोलूमल हि0 1/5	114/1	0.10 है0	
2.अमन पुत्र गणेश हि0 1/20	115/1	0.95 है0	
3.टीना पुत्री गणेश हि0 1/20	119/4	0.03 है0	
4.रेना पुत्री गणेश हि0 1/20	38/1	0.31 है0	
5.मंजू बाई पत्नि गणेश हि0 1/20	35/1	0.19 है0	
6.सुशीला पुत्री टोलूमल हि0 1/5	किता 5	1.58 है0	
7.लाडकंवर पुत्री टोलूमल हि0 1/5			
8.खाजी बाई पत्नी टोलूमल हि0 1/5			

वाद के खर्चे लेखे ... Xरुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित Xद्वारा Xको दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 08 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा
कोटा